137

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1201–एक/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–2016 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना – प्रकरण कमांक 19/2013–14 अपील

1– श्रीमती नसीम वानो पत्नि अब्दुल जीमल खां
2– बतन खॉ पुत्र गोकुल खां मृतक वारिस
शरीफ खां एंव जउआ खां पुत्रगण वतन खां
3– जुबेर खां पुत्र जीमल खां
निवासी ग्राम उरहाना तहसील व जिला मुरैना ———आवेदकगण

विरूद्ध

1– देवेन्द्र सिंह पुत्र सोवरन सिंह जाटव
ग्राम मलखानपुरा हाल निवासी
फड़कापुरा बामौर तहसील मुरैना
2– मध्य प्रदेश शासन ——असल अनावेदकगण
3– प्रकाश पुत्र बाबूसिंह कुशवाह
4– शिशुपाल पुत्र बाबू सिंह कुशवाह
ग्राम उरहना तहसील व जिला मुरैना ——फार्मल अनावेदकगण

(आवदेकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक–2 के पैनल लायर)

(अनावेदक –1 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 25–10 –2017 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के प्र0क0 19/2013–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अतिरिक्त तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 2/2006–07 अ–19 में पारित आदेश दिनॉक 15–11–2006 से

ग्राम उरहाना में आवेदकगण के हित में भूमि का व्यवस्थापन किया। अनावेदक कमांक-1 ने अतिरिक्त तहसीलदार मुरैना के प्रकरण कमांक 2/2006-07 अ-19 में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनॉक 15-11-2006 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने अपील प्रकरण कमांक 19/2013-14 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई हेतु अंतरिम आदेश दिनांक 24-2-16 से निर्णय लिया कि " प्रकरण प्रस्तुत। अपीलांट के अभि0 उप0 । रेस्पा0 की तामील अदम निर्वाह वापिस प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटटे प्रदाय किये गये। पटटाधारियों को सूचना पत्र जारी हो। " अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये। अनावेदक क-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। शेष अनावेदक फार्मल पक्षकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि एस0डी0ओ0 ने कानून की स्थिति को सही नहीं समझा है। देवेन्द्र सिंह ने अपील में प्रतिप्रार्थी कमांक 2 से 4 के विरूद्ध सहायता चाही है। एस0डी0ओ0 के समक्ष अपील में आवेदकगण पक्षकार नहीं है तब बिना आधार के उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थीगण को आवंटित भूमि में कोई हित भी नहीं है जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किये जाने का आदेश देने में भूल की गई हैं

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2006 के पूर्व से ही भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है तथा तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायव तहसीलदार की भूमि बन्टन की शक्तियॉ वापिस ली जाकर भूमि बन्टन की शक्तियां कलेक्टर में वेष्ठित है इसके वाद भी तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 2/2006-07 अ-19 में आदेश दिनॉक 15-11-2006 पारित करके भूमि व्यवस्थापन का अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है जिसकी अपीलीय अधिकारी छानवीन कर सकते है। अति. तहसीलदार ने आवेदकगण को भी भूमि बन्टन किया है इसलिये न्याय की दृष्टि

से प्रत्येक हितधारी को अपील प्रकरण में सुने जाने के उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी ने नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

4/ आवेदकगण एंव शासन के पैनल लायर द्वारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण क्रमांक 19/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-2-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने इस आदेश में निर्णय लिया है कि -

" प्रकरण प्रस्तुत। अपीलांट के अभि0 उप0 । रेस्पा0 की तामील अदम निर्वाह वापिस प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटटे प्रदाय किये गये। पटटाधारितयों को सूचना पत्र जारी हो। "

आवेदकगण जिन तथ्यों के आधार पर निगरानी में अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान रख सकते हैं क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्तानुसार अंतिरम आदेश से हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई करने के लिये एंव बचाव प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के लिये सूचना पत्र जारी करने का निर्णय लिया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है। आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के अंतरिम आदेश दिनांक 24-2-16 से आवेदकगण को किस प्रकार की क्षति हुई है , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-2-16 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-2-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर